न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या 617ए/2018

प्रार्थीगणः–

1. श्री नोजा पुत्र स्व0 श्री चेलाजी उम्र 77 वर्ष, जाति भाट निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढाणी तहसील रोहट जिला–पाली (राजस्थान)
2. मृतक श्री रामा पुत्र श्री चेलाजी के कायम मुकामः–

2/1 मृतक छोगाराम पुत्र स्व0 श्री रामाजी के कायम मुकामः–

2/1/1. तुलसी पत्नि स्वर्गीय श्री छोगाराम उम्र 61 वर्ष, जाति भाट निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

2/1/2. दुर्गाराम पुत्र स्वर्गीय श्री छोगाराम उम्र 23 वर्ष, जाति भाट, निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी तहसील रोहट, जिला–पाली (राजस्थान)

2/1/3. श्रीमती एलची पत्नि श्री पारसराम पुत्री स्वर्गीय श्री छोगाराम उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी तहसील रोहट जिला पाली (राजस्थान)

2/1/4. श्रीमती उगमा पत्नि श्री मदनलाल स्वर्गीय श्री छोगाराम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी तहसील रोहट जिला–पाली (राजस्थान) हाल निवासी गॉव पड़ासला खुर्द तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर (राजस्थान)

2/1/5. श्रीमती सुशीला पत्नि रमेश पुत्री स्वर्गीय श्री छोगाराम उम्र 27 वर्ष जाति भाट निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी, तहसील रोहट जिला पाली (राजस्थान) हाल निवासी सोसायटी नगर, पाली तहसील पाली, जिला–पाली (राजस्थान)

2/2 श्री बाबुराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामाजी उम्र 61 वर्ष, जाति भाट, निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी, तहसील रोहट जिला–पाली (राजस्थान)

2/3 श्री वजाराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामाजी, उम्र 47 वर्ष, जाति भाट,. निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी, तहसील रोहट, जिला पाली (राजस्थान)

2/4 श्रीमती भंवरी पत्नि श्री मेघाराम पुत्री स्वर्गीय श्री रामाजी उम्र 62 वर्ष जाति भाट, निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी, तहसील रोहट, जिला–पाली (राजस्थान) हाल निवासी ग्राम सांवलता खुर्द तहसील सोजत जिला–पाली (राजस्थान)

अप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली जिला–पाली(राजस्थान)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

2/5 श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री गोपाराम पुत्री स्वर्गीय श्री रामाजी उम्र 48 वर्ष जाति भाट निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी तहसील रोहट, जिला–पाली (राजस्थान) हाल निवासी गांव मालकोनी, तहसील बिलाड़ा जिला–जोधपुर (राजस्थान)

2/6 श्रीमती करता पत्नि भंवरजी पुत्री स्वर्गीय श्री रामाजी उम्र 39 वर्ष जाति भाट, निवासी ग्राम इन्द्रोका की ढ़ाणी, तहसील रोहट, जिला–पाली (राजस्थान) हाल निवासी गांव ढ़ाई पेड़ी केशापुर, जिला–अलवर (राजस्थान)

उपस्थितिः–

1. श्री बी.आर. चौधरी, विद्धान अभिभाषक प्रार्थीगण

2. तहसीलदार, पाली

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–ःआदेशः– दिनांक 13.02.2019

1. प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 01 नोजा एवं प्रार्थी संख्या 02 मृतक रामा पुत्र श्री चेलाजी के विधिक वारिशान् के पिता एवं प्रार्थी एवं प्रार्थी संख्या 2/1 मृतक छोगाराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामाजी के विधिक वारिशान् के दादा एवं प्रार्थी संख्या 2/1/1 मृतक छोगाराम पुत्र स्वर्गीय श्री रामाजी की पत्नि के दादा ससुर एवं प्रार्थी संख्या 2/2 से 2/6 के पिता रामाजी सहित सहखातेदारी व स्वामित्व, आधिपत्य व हक–अधिकारी की पैतृक भूमि ग्राम–भांगेसर, तहसील पाली जिला पाली की सरहद में स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार से है– खसरा नंबर 60 रकबा 16.01 किस्म बारानी अव्वल 1.01 लगान 0.52, बारानी दोयम 15 लगान 5.55, खसरा नंबर 228 रकबा 3.14 किस्म बारानी दोयम 3.14 लगान 1.37 कुल खसरा 2 कुल रकबा 19.15 बीघा लगान 7.44 रूपये। वर्णित कृषि भूमि मुख्य रूप से प्रार्थीगण के पूर्वजों से ही चली आ रही है, जो जमाबंदी संवत् 2020–2023 से संवत् 2073–76 तक की जमाबंदी से स्पष्ट है तथा पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) संवत् 2020–2023 से 2036–2039 तक रामा, नोजा पिता चेला, कौम भाट साकिन इन्द्रोका की ढ़ाणी दर्ज की हुई है तथा इसी अनुरूप इंद्राज पश्चातवर्ती जमाबंदी संवत् 2041–2044 में तत्कालीन पटवारी द्वारा दर्ज करते समय सहवन से रामा, नोजा पिता चेला के स्थान पर रामा, नोजा पिता भोला दर्ज हो गया है, जो अपने आप त्रुटि नजर आ रही है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। खातेदार रामा का निधन 25–04–1992 को हो गया एवं खातेदार रामा की पत्नि हसतु का निधन 23–11–2002 को हा गया एवं खातेदार रामा के पुत्र छोगाराम का भी निधन 10–11–2015 को हो गया है इसलिये इनके उतराधिकारियों को प्रार्थीगण बनाया गया है। उक्त कृषि भूमि पर कब्जा–काश्त, खातेदार रामा, नेजा पिता चेला एवं इनके पूर्वजों सहित चला आ रहा है तथा खातेदार रामा के देहान्त के पश्चात् इनके विधिक वारिशान् का कब्जा–काश्त रहा है एवं खातेदार रामा के एक पुत्र छोगाराम के देहान्त के पश्चात् इनके विधिक वारिशान् का कब्जा–काश्त रहा है तथा वर्तमान में सभी प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर खेती की जा रही है और उनका कब्जा–काश्त है। प्रार्थी संख्या 2/1/2 दुर्गाराम अपने पिता छोगाराम का फौतेदगी म्युटेशन करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 18–10–2018 को सम्पर्क करने पर पटवारी द्वारा बताया कि अभी तक तुम्हारे दादा रामा, नोजा पिता भोला कौम भाट का नाम दर्ज है तथा

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

जमाबंदी के अवलोकन से उक्त त्रुटि का ज्ञान प्रथम बार दिनांक 18-10-2018 को हुआ एवं उक्त त्रुटि के कारणों के बारे में जानकारी करते हुए राजस्व रेकर्ड की पुरानी जमाबंदियां तहसीलदार, पाली से दिनांक 25-10-2018 एवं दिनांक 26-10-2018 को प्राप्त होने पर वास्तविक रूप से तत्कालीन राजस्व पटवारी द्वारा की गई उक्त त्रुटि की जानकारी हुई। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत् 2041-2044 में गलत रूप से दर्ज इन्द्राज रामा नोजा पिता भोला के स्थान पर रामा, नोजा पिता चेला दर्ज करने एवं पारिणामिक रूप से रामा एवं छोगाराम के विधिक वारिशान् के नाम नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थी तहसीलदार, पाली ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2020-2023 से 2036-2039 तक खातेदार रामा, नौजा पुत्र चेला, कौम भाट, साकिन इन्द्रो की ढाणी दर्ज है तथा इसी अनुरूप इन्द्राज पश्चात्वर्ती जमाबंदी संवत् 2041-2044 में तत्कालीन पटवारी द्वारा दर्ज करते समय सहवन (त्रुटि) से रामा, नौजा पिता चेला के स्थान पर रामा, नौजा पिता भौला दर्ज हो गया जो अपने आप मे त्रुटि नजर आ रही है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किया जाना उचित है।

4. बहस प्रार्थना-पत्र धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट, 1955 पर उभयपक्ष की सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार का नाम रामा, नोजा पिता भोला के स्थान पर रामा, नोजा पिता चेला दर्ज करने एवं पारिणामिक रूप से रामा एवं छोगाराम के विधिक वारिशान् के नाम नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश जारी करने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

5. पत्रावली का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। राजस्व रेकर्ड ग्राम भांगेसर की जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खाता संख्या 184 में खसरा नंबर 60 व 228 के खातेदार रामा, नोजा पि0 चेला कौम भाट दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के खाता संख्या 192, जमाबंदी संवत् 2028 से 2031 के खाता संख्या 206, जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 के खाता संख्या 295 में जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खाता संख्या 184 के अनुरूप खातेदारों के नाम दर्ज है परन्तु जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 के खाता संख्या 330 में खातेदार रामा, नौजा पि0 भोला नाम अंकित कर दिया गया है। तत्पश्चात् बनने वाली समस्त जमाबंदीयों में खातेदारों के पिता का नाम भोला ग़लत दर्ज होता चला आ रहा है। जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 509 मे भी रामा, नोजा पि0 भोला दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 के खाता संख्या 330 में गलत वल्दियत दर्ज होने के पश्चात् बनने वाली जमाबंदियों में गलत वल्दियत दर्ज होती चली आ रही है जिसे यथावत् रखा जाना कत्तई न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट, 1956 का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 509 मे दर्ज गलत नाम रामा, नोजा पि0 भोला के स्थान पर रामा, नोजा पि0 चेला दर्ज करने का तहसीलदार, पाली को आदेश दिया जाता है। इस

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

आदेश की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु तहसीलदार, पाली को तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner